

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 57/2021  
(जीसीएमएस संख्या 2021/68)

निर्णय दिनांक: 30-12-2024



1. मालाराम पुत्र थानाराम जाति कुम्हार निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला  
बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोंडेन्ट


अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-04-2006  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18-04-2006 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि अन्य श्रेणी में अधिसूचित होने के कारण अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर सामान्य आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को बतौर भूमिहीन


  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



तहसील पूगल के चक 4 एस एम के मुरब्बा नम्बर 198/32 के किला नम्बर 1, 9 ता 14, 17 ता 25 तादादी 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 03-04-2006 को पत्रावली पेशी में ली जाकर उपरोक्त रकबा मुहरबन्द बोली में अधिसूचित होने का बताकर प्रकरण पुर्नविचार हेतु नोटिस जारी करना लिखा है जिस पर अपीलांट को तामील करवाये बिना एकतरफा तौर पर दिनांक 18-04-2006 को सुओमोटो रिव्यू कर अपीलांट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया है। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिल सकता है एवं अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति होने के साथ अपीलांट का पेशा कृषि होने से अपीलांट भूमिहीन श्रेणी में भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन करने की कार्यवाही करे।

इस संबंध में अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अदालत मातहत द्वारा अपने किये गये आवंटन को सुओमोटो रिव्यू किया जाकर अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया है। किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।


उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 के विरुद्ध अपील दिनांक 26-02-2021 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि अन्य श्रेणी में अधिसूचित होने के कारण अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 26-02-2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियाद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर


हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर भियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 4 एस एम के मुरब्बा नम्बर 198/32 के किला नम्बर 1, 9 ता 14, 17 ता 25 तादादी 15 बीघा भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन कर दिया गया।



इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को भूमि आवंटन की जाने के पश्चात दिनांक 03-04-2006 को पत्रावली पेशी में ली जाकर अपीलांट को आवंटित भूमि मुहरबन्द बोली में अधिसूचित होने के कारण अपीलांट का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण को पुनर्विचार हेतु विचाराधीन रखा। प्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर आगामी पेशी 18-04-2006 दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट को नोटिस क्रमांक 2457 दिनांक 04-04-2006 जारी किया जाना अंकित किया गया है। उक्त जारी नोटिस की मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही है जिस पर अपीलांट की तामील संबंधी कोई अंकन नहीं किया गया है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि प्रार्थी का आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट आज दिनांक तक भूमिहीन है एवं भूमिहीन होने एवं अपीलांट का पेशा कृषि कार्य होने के कारण अपीलांट भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित

  
राजस्व अपील अधिकारी  
धीकानेर

होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के पत्रांक दिनांक एप5(ई)(55)उपनि/78/1279-1307 दिनांक 01-02-1978 प्रस्तुत किया जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि "दोहरा आवंटन हो जाने से अन्यत्र भूमि देना है अर्थात जिन्हें एकबार पहले भूमि आवंटन हो चुका है, किन्तु किसी कारण वश आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिला है या कब्जा बदलना आवश्यक हो गया है। पहले ऐसे विशेष प्राथमिकता के लोगों को लॉटरी से भूमि दी जावे"।



अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के आज दिनांक की पात्रता की जांच करते हुए अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जांच करते हुए नियमानुसार समान श्रेणी की भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर 30/12/2021 से इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर